मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
(संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश)
विन्ध्याचल भवन, प्रथम तल, सी विंग, भोपाल

क.प्राविवि/समाधान–ऑनलाईन/2014/संविसं/3302 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक/संचालकः राज्य शासन के समस्त निकाय/निगम/मण्डल/प्राधिकरण/समितियां/उपक्रम आदि
समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्य प्रदेश,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,नगरीय निकाय, मध्य प्रदेश

विषयः–बैंकों के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान, ब्याज अनुदान, गारंटी शुल्क आदि का योजना के प्रावधान अनुसार नियमित समयावधि पर भुगतान करने बाबत्।

=0=

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न रोजगारमूलक/आवास आदि योजनाओं अंतर्गत हितग्राही को बैंक के माध्यम से योजना के प्रावधान अनुसार अनुदान/ब्याज अनुदान/गारंटी शुल्क आदि का भुगतान करना होता है। राज्य शासन के संज्ञान में यह आया है कि बैंक द्वारा हितग्राही को देय राशि का दावा संबंधित विभाग से समय पर नहीं किये जाने के कारण ऐसी राशि पर देय ब्याज का बोझ संबंधित हितग्राही पर पड़ता है। अतः निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं किः–

1. विभिन्न योजनाओं अंतर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित प्रकरणों की विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में पंजी संधारित की जाये। संबंधित विभागीय कार्यालय का दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि निर्धारित समयावधि में बैंक शाखा द्वारा हितग्राहियों को देय राशि के दावे प्रस्तुत कर दिये गये हैं।
2. संबंधित बैंक द्वारा हितग्राही को देय राशि का दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त विभागीय कार्यालय ऐसे समस्त दावों का परीक्षण कर प्राप्ति के माह में ही निराकरण करेगा।
3. बैंक द्वारा हितग्राही को देय लाभ का दावा समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण हितग्राही पर पड़े अतिरिक्त ब्याज को संबंधित बैंक द्वारा ही वहन करना होगा। बैंक की त्रुटि के कारण उत्पन्न ऐसी अतिरिक्त ब्याज की राशि संबंधित हितग्राही से वसूल नहीं की जा सकेगी।

4. यदि विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों की लापरवाही से किसी हितग्राही को योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार दावे का सम्पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है और बैंक द्वारा हितग्राही से ऐसी राशि पर वसूली गई ब्याज की राशि का दायित्व संबंधित शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से वसूली योग्य होगा।

उक्त निर्देशों का तत्काल कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

2.7.2014

(आशीष उपाध्याय)
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
सह विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं आयुक्त संस्थागत वित्त

पृ.क.प्राविवि/समाधान–ऑनलाईन/2014/संविसं/3303 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2014

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
6. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त निजी क्षेत्र के बैंक।
7. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश।
8. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश।

2.7.2014

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
सह विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं आयुक्त संस्थागत वित्त